रजिस्टर्ड नं० ए० डी० - 4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 31 मार्च, 1975
चैत्र 10, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1205/सत्रह-वि-1--80-74
ल , 31 मार्च, 1975

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 31 मार्च, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1975 के रूप में सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 2 में-- उ0प्र0 अधिनियम सं0 19, 1973 की धारा 2 का संशोधन।

(1) खंड (क) में, शब्द "जिसमें सिंचाई के श्रोतों का विकास करना, फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना भी सम्मिलित है" के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द "(जिसके अन्तर्गत सिंचाई के श्रोतों का विकास करना भी है), फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना" रख दिये जायें।

(2) खंड (ग) में उप-खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रख दिया जाय, अर्थात्:--

"(5) कोई वित्त पोषक बैंक या केन्द्रीय बैंक (जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित है) जो भूमि विकास बैंक न हो);";

(3) खंड (ङ) में शब्द "स्वीकृत" के स्थान पर शब्द "चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात् स्वीकृत" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें।

धारा 3 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"3—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायें, समस्त भूमिधरों, सीरदारों, असामियों और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन धृत भूमि का अथवा उक्त भूमि में उनके किसी हित का, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर कोई प्रभार सृजित करने अथवा उसे बन्धक रखने का अधिकार भी है, बैंकों के पक्ष में सामान्यतया अथवा किन्हीं निर्दिष्ट वर्ग के बैंकों के पक्ष में, ऐसे बैंकों से वित्तीय सहायता लेने के प्रयोजनार्थ, संक्रमण करने का अधिकार निहित कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने पर, ऐसे भूमिधर, सीरदार, असामी और सरकारी पट्टेदार को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा, अनुदान अथवा अन्य संलेख में इसके प्रतिकूल किसी बात के, या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुये भी, अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संक्रमण करने का अधिकार होगा।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) उप-धारा (1) में, शब्द "जिस पर तथा जिससे फसल उगाई जाय" के स्थान पर शब्द "जिस पर तथा जिससे फसल या उपज उगाई जाय" रख दिये जाएं;

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द तथा अंक "की धारा 39" निकाल दिये जाएं ।

धारा 5 का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 5 निकाल दी जाय।

धारा 6 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) कोई कृषक जो ऐसी भूमि अथवा किसी अन्य स्थावर संपत्ति पर, जो उसके स्वामित्व में हो अथवा जिसमें उसका कोई हित हो, प्रभार सृजित करके किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में या परिस्थितियों के अनुसार लगभग उसी प्रकार के प्रपत्र में यथाविधि स्टाम्पित पत्र पर यह घोषणा कर सकता है कि इसके द्वारा वह, यथास्थिति ऐसी भूमि, अथवा उसमें अपने हित अथवा अन्य स्थावर संपत्ति पर, बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित करता है ।"

नयी धारा 6-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात्:—

"6-क—जहां किसी कृषक द्वारा धृत कोई भूमि कृषक द्वारा बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार या बन्धक के अधीन हो और उक्त भूमि में कृषक का अधिकार, हक तथा हित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अध्याय 4 के अधीन अन्तिम चकबन्दी योजना के लागू किये जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गया हो, तो ऐसा प्रभार या बन्धक कृषक को आवंटित तत्समय भूमि को और उक्त योजना के अधीन देय प्रतिकर, यदि कोई हो, को अन्तरित और उससे बद्ध हो जायेगा।"

चकबन्दी क्रियाओं के दौरान आवंटित भूमि के प्रभार या बन्धक का अन्तरण

धारा 7 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 7 में, शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी", के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 तथा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी" रख दिये जायें ।

धारा 9 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

"(2) उप-रजिस्ट्रार, उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेख्य की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, यथाशक्य शीघ्र, तथा यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पित किया गया है, उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा देगा ।

(3) जहां उप-रजिस्ट्रार की यह राय हो कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पित नहीं किया गया है अथवा उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत होने वाली कोई त्रुटि है तो वह लेख्य की प्रतिलिपि को बैंक के पास यह अपेक्षा करते हुए वापस कर देगा कि बैंक तीस दिन अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे उप-रजिस्ट्रार तद्धर्थ अनुज्ञात करें, मूल प्रति के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करा दें अथवा त्रुटि को दूर करा दें ।

(3-क) इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, बैंक कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।"

(ख) उपधारा (4) में शब्द "स्टाम्प की कमी पूरित होने" के पश्चात् शब्द "या त्रुटि दूर किये जाने, जैसी भी दशा हो," रख दिये जायें।

नयी धारा 9-ख और 9-ग का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

"9-क—जहां प्रभार सृजित करने, फेरफार करने या बन्धक रखने के लेख्य की प्रतिलिपि धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजी गयी हो तो बैंक तहसीलदार या ऐसे अन्य पदाधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, ऐसे प्रभार, फेरफार या बन्धक की विशिष्टियों की सूचना दे सकेगा। उक्त तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी प्रभार, फेरफार या बन्धक की विशिष्टियों को उस भूमि से जिसके संबंध में ऐसा प्रभार सृजित किया गया हो या फेरफार किया गया हो, या बन्धक रखा गया हो, सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख में दर्ज करेगा।

अधिकार-अभिलेख में प्रभार या बन्धक को दर्ज करना

9-ख—जहां किसी भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर प्रभार या उसके बन्धक के संबंध में किसी घोषणा या फेरफार का धारा 9 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण किया गया हो और उसके द्वारा प्रतिभूति वित्तीय सहायता की धनराशि का भुगतान बैंक को कर दिया गया हो अथवा ऋण को अन्य प्रकार से उन्मोचित कर दिया गया हो तो बैंक इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा और उक्त धारा के उपबन्ध ऐसे प्रमाण-पत्र के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

उन्मोचन प्रमाण-पत्रों का रजिस्ट्रीकरण

नयी धारा 10-क का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम के अध्याय 4 में धारा 11 के पूर्व निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"10-क—किसी विधि की कोई बात बैंक को किसी ऐसी भूमि या उसमें हित को जिसे कृषक ने कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये बैंक को प्रभारित या बंधकित किया हो, सिविल न्यायालय के माध्यम से कुर्क करने और बेचने से, और ऐसी बिक्री के आगम को उस कृषक द्वारा देय समस्त धन जिसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दिलाया गया व्यय तथा खर्च भी है, के प्रति लगाने से किसी प्रकार से न रोकेगी।

न्यायालय की आदेशिका द्वारा कुर्की और बिक्री पर रोक को हटाना

10-ख—(1) जहां किसी कृषक को दी गई किसी वित्तीय सहायता के संबंध में कोई राशि उसके देय होने के दिनांक को असंदत्त रह जाय तो वित्तीय सहायता देने वाला बैंक अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को यह आवेदन-पत्र दे सकेगा कि वह बैंक के पक्ष में प्रभारित जंगम सम्पत्ति या फसल या अन्य उपज का अभिहरण तथा उसकी बिक्री करके वसूली के व्यय सहित देय राशि की वसूली करे।

जंगम तथा उपज का अभिहरण और विक्रय

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा आवेदन-पत्र उस उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिये जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपधारा में अभिदिष्ट सम्पत्ति का अभिहरण तथा उसकी बिक्री करने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही विहित रीति से कर सकेगा।

(4) इस प्रकार वसूल की गई कोई राशि वसूली के व्यय को काटने और सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभार को, यदि कोई हो, चुकाने के पश्चात् बैंक को अन्तरित कर दी जायेगी।"

धारा 11 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 11 में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

"(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी (जिसे आगे विहित प्राधिकारी कहा गया है) किसी बैंक के आवेदन पर आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि किसी कृषक को दी गयी वित्तीय सहायता के फलस्वरूप बैंक को देय धनराशि का भुगतान उस भूमि अथवा उसमें किसी हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति का, जो ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिये प्रभारित अथवा बन्धकित हो, विक्रय करके किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन विक्रय का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि कृषक पर देय धनराशि का भुगतान करने के लिये विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस तामील न कर दिया गया हो।

(1-क) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसा आवेदन उक्त उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिये भूमि या उसमें हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति की बिक्री के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।"

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जाय और सदैव से निकाली गई समझी जायगी।

नयी धारा 11-क का बढ़ाया जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"11-क—(1) जहां बैंक द्वारा किसी कृषक को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि प्रदान की जाय और कृषक देय दिनांक को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करने में असफल रहे तो, धारा 10-ख और 11 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक का स्थानीय प्रधान अधिकारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, कृषक द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को, विहित रीति से, प्रमाण-पत्र भेज सकेगा।

वैयक्तिक प्रतिभूति की दशा में वसूली

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रमाण-पत्र उस दिनांक से जब प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि देय हो जाय, तीन वर्ष के भीतर कलेक्टर को भेजा जा सकेगा।

(3) प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर वसूली के व्यय सहित कृषक से उसमें निर्दिष्ट धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा, और बैंक को देय धनराशि का, वसूली के व्ययों को काटने और किन्हीं सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभारों, यदि कोई हों, को चुकाने के पश्चात् भुगतान किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जहां कृषक साधारणतया निवास करता हो अथवा धारा 2 के खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्रिया-कलाप करता हो अथवा जहां कृषक की कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति स्थित हो, और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।"

नयी धारा 12-क, 12-ख और 12-ग का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम के अध्याय 4 में, धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

"12-क—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बैंक को किसी ऐसी भूमि या उसमें हित अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति को, जिसे कृषक ने अपने को प्रदान की गई किसी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में बैंक को प्रभारित या बन्धकित किया हो, स्वयं अर्जित करने का अधिकार होगा।

स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने और उसका निस्तारण करने के लिये बैंक का अधिकार

(2) जहां कोई बैंक उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि या उसमें हित अथवा कोई अन्य स्थावर सम्पत्ति अर्जित करता है तो वह, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उतने समय के भीतर जो विहित किया जायगा, किसी कृषक के पक्ष में ऐसी भूमि, उसमें हित या सम्पत्ति का विक्रय द्वारा निस्तारण करेगा।

(3) यदि बैंक को उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसकी बिक्री होने तक, जैसा कि उपधारा (2) में इंगित है, पट्टे पर देना है, तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी, और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, उस सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

12-ख—(1) जहां कृषक को प्रदत्त की गई वित्तीय सहायता से संबंधित देयों के पूर्णतः चुकाये जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो धारा 10-ख में अभिदिष्ट बैंक या तहसीलदार या धारा 11 में अभिदिष्ट विहित प्राधिकारी या धारा 11-क में अभिदिष्ट कलेक्टर देयों की वसूली के लिये कृषक के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली

(2) जहां ऐसे विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध वसूली के लिये कार्यवाहियां की जायें तो वे मृतक की केवल उस सम्पत्ति तक जो उन्हें प्राप्त हुई हो और जिसका सम्यक रूप से निस्तारण न किया गया हो, उत्तरदायी होंगे और ऐसे दायित्व को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, तहसीलदार, विहित प्राधिकारी या कलेक्टर, स्वयं या बैंक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधियों को ऐसा लेखा प्रस्तुत करने के लिये, जिसे वह उचित समझे, बाध्य कर सकता है।

12-ग--कृषक और उसके विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी प्रतिभू से, जिसने किसी कृषक के व्यतिक्रम करने की दशा में उसके दायित्व का निर्वहन करने अथवा किसी वचन का पालन करने के लिये प्रत्याभूति की कोई संविदा की हो, और ऐसे प्रतिभू के विधिक प्रतिनिधियों से, ऐसे देयों की वसूली पर आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे ।

प्रतिभूओं से देयों की वसूली

15--मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:--

नयी धारा 13-क और 13-ख का बढ़ाया जाना

"13-क--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी बैंक का किसी सहकारी समिति का सदस्य बनना विधिपूर्ण होगा ।

बैंक किसी सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिये पात्र होगा

13-ख--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, की धारा 60 की कोई बात किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बैंक से उधार लेने के लिये वर्जित न करेगी ।"

बैंक से उधार लेने के लिये सहकारी समितियों की शक्ति

16--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

धारा 15 का संशोधन

"स्पष्टीकरण--किसी सहकारी समिति को दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में उससे अपने देयों की वसूली के लिये किसी बैंक द्वारा किया गया दावा विवाद समझा जायगा जिसे इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रार को अभिदिष्ट किया जायगा ।"

17--मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) में--

धारा 19 का संशोधन

(क) शब्द "यदि किसी बैंक ने" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंक ने" रख दिये जायें;

(ख) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा सदस्य जो उपधारा (2) में अभिदिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं था, अपने द्वारा समिति को देय ऋण के होने के सम्बन्ध में या उसकी धनराशि के संबंध में आपत्ति करता है तो उस आपत्ति का विनिश्चय समुचित निष्पादन कार्यवाहियों में किया जायगा ।"

18--मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम" के पश्चात् शब्द "जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के कोई नियम भी हैं," बढ़ा दिये जायें ।

धारा 25 का संशोधन

19--मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाये, अर्थात्:--

अनुसूची का प्रतिस्थापन

"अनुसूची

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6 (1) के अधीन घोषणा

चूंकि, मैं-------------------------- (आयु---------------वर्ष)----------आत्मज--------
-------------------------निवासी-------------------------जिला-------------------------, -----------बैंक
(--------------------------शाखा) से वित्तीय सहायता के रूप में--------------------------रुपये
(---------------------------------रुपये) की राशि प्राप्त करने का इच्छुक हूं;

और, चूंकि, उपर्युक्त बैंक-------------------------के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता के रूप में मुझे उपर्युक्त धनराशि देने को रजामन्द है;

अतएव, मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6(1) के अधीन यह घोषणा करता हूं और स्वयं को तथा अपने वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करता हूं, अर्थात् :--

(1) मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2(ख) द्वारा यथापरिभाषित कृषक हूं।

(2) मैं नीचे निर्दिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का भूमिधर/सीरदार/असामी/सरकारी पट्टेदार/स्वामी हूं अथवा मेरा नीचे निर्दिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति में निम्नलिखित हित है------------

(3) मैं उपर्युक्त बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये उस बैंक के पक्ष में उक्त भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर एतद्द्वारा प्रभार सृजित करता हूं ।

(4) मैं, वित्तीय सहायता की धनराशि का प्रतिसंदाय बैंक को..............प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित निम्नलिखित रीति से करूंगा------------------------

(5) यदि मैं ऊपर वर्णित रीति से भुगतान करने में असमर्थ रहता हूं तो प्रभारित सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और मैं बैंक के व्यय तथा अन्य परिव्यय और खर्चों का और उस व्यय का यदि कोई हो, तो बैंक को देय धनराशि की वसूली के लिये करना पड़े, देनदार होऊंगा ।

(6) मैं वित्तीय सहायता की धनराशि केवल इसके पूर्व उल्लिखित प्रयोजनों के ही लिये व्यय करूंगा और उपयोग में लाऊंगा ।

(7) इस घोषणा की अन्तर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य हैं और इसका कोई भी भाग मिथ्या या गलत नहीं है ।

बैंक के पक्ष में प्रभारित भूमि या उसमें हित अथवा अन्य अस्थावर सम्पति का वर्णन

गांव का नाम	परगना तथा तहसील का नाम	जिले का नाम	सर्वेक्षण संख्या/नगर सर्वेक्षण संख्या गाटा (प्लाट) संख्या	गाटा हिस्सा	सीमायें दक्षिण	पूर्व	उत्तर	पश्चिम	क्षत्रफल हेक्टर

कर निर्धारण रुपया	पैसा	लगभग मूल्य	विल्लंगम प्रकार	धनराशि	अभियुक्ति, यदि कोई हो

इसके साक्ष्य में, मैं श्री———————————आज——————————वर्ष एक हजार नौ सौ ——————————में ————————के———————————— दिन————————————————————

हस्ताक्षर करता हूं ।

साक्षी:—

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरिनामांकित द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिदत्त—

(1)—

(2)—

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

समादर सहित उप-रजिस्ट्रार को घोषणा के अधीन सृजित प्रभार—के व्योरों को अपने कार्यालय में अभिलिखित करने के लिये अग्रसारित ।

प्रबन्धक/एजेंट

————————बैंक————————

————————स्थान————————

समादर सहित प्रबन्धक/एजेंट————————————बैंक————————को वापिस घोषणा के अधीन सृजित प्रभार को यथाविधि दाखिल कर लिया गया है ।

उप रजिस्ट्रार

————————————"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 1961 की धारा 3 का संशोधन

20—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिकतम सीमा अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, खंड (1) निकाल दिया जाय ।

धारा 5 का संशोधन

21—अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(घ) उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई बैंक या कोई सहकारी बैंक या कोई सहकारी भूमि विकास बैंक ।"

निरसन तथा अपवाद उत्तर प्रदेश, अध्यादेश सं0 3, 1975 ।

22—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम या अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम और अधिकतम सीमा अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायेगा मानो यह अधिनियम दिनांक 25 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हो गया हो ।

No. 1205(2)/XVII-V-1—80-1974

Dated Lucknow, March 31, 1975

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Udhar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 31, 1975:

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL CREDIT (AMENDMENT) ACT 1974

(U. P. ACT NO. 19 OF 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Agricultural Credit (Amendment) Act, 1974.

Amendment of section 2 of the U. P. Act 19 of 1973.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act—

(i) in clause (*a*), *for* the words "including development of sources of irrigation", the brackets and words "(including development of sources of irrigation)" shall be *substituted*;

(ii) in clause (*c*), *for* sub-clause (*v*), the following sub-clause shall be *substituted*, namely:—

"(*v*) a financing bank or Central Bank (as defined in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965) not being a land development bank ;"

(iii) in clause (*e*), *for* the word "granted" the words "granted, whether before or after the commencement of this Act" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Substitution of section 3.

3. *For* section 3 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"3. The State Government may, by notification in the *Gazette*, vest, subject to such restrictions as may be specified in the notification, all *bhumidhars, sirdars, asamis* and Government lessees, with rights of alienation in land held under their tenure or any interest in such land including the right to create a charge or mortgage on such land or interest in favour of banks generally or any specified class of banks for the purpose of obtaining financial assistance from such banks, and upon issue of such notification, such *bhumidhars, sirdars, asamis* and Government lessees shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any contract, grant or other instrument to the contrary, or any custom or tradition, have a right of alienation in accordance with the terms of the notification."

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "on and from which the crop is raised", the words "on and from which such crop or produce is raised" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2), the words and figures "section 39 of" shall be *omitted*.

Omission of section 5.

5. Section 5 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 6.

6. In section 6 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) An agriculturist desirous of securing financial assistance from any bank by creating a charge on land or any other immovable property which he owns or in which he has an interest, may make a declaration on a duly stamped paper in the form set out in the Schedule or as near thereto as circumstances permit, declaring that thereby he creates in favour of the bank a charge on such land or his interest therein or other immovable property, as the case may be."

Insertion of new section 6-A.

7. In Chapter 2 of the principal Act, *after* section 6, the following section shall be *inserted*, namely:—

"6-A. Where any land held by an agriculturist is subject to a charge or mortgage created in favour of a bank by an agriculturist and the rights, title and interest of the agriculturist in the said land have ceased as a result of the enforcement of the final consolidation scheme under Chapter IV of the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953, such charge or mortgage shall be transferred and attached to the corresponding land allotted to the agriculturist and to the compensation, if any, payable under the said scheme."

Transfer of charge or mortgage to land allotted during consolidation operations.

Amendment of section 7.

8. In section 7 of the principal Act, *for* the words and figures "Notwithstanding any thing to the contrary contained in section 39 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 or section 22 of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Bank Act, 1964", the words and figures "Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 and Uttar Pradesh Co-operative Land Development Bank Act, 1964" shall be *substituted*.

Amendment of section 9.

9. In section 9 of the principal Act—

(*a*) *for* sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:—

"(2) The Sub-Registrar shall, as soon as may be, on receipt of the copy of the document referred to in sub-section (1), and after ascertaining that said document is duly stamped, file the copy in Book No. 1 prescribed under section 51 of the Registration Act, 1908.

(3) Where the Sub-Registrar is of the opinion that the said document is not duly stamped or suffers from any defect arising out of an accidental slip or omission, he shall send back the copy of the document to the bank requiring it to get the deficiency in the stamp duty made good on the original or to get the defect removed within thirty days or within such extended time as the Sub-Registrar may allow in that behalf.

(3-A) The bank shall get the deficiency made good or the defect removed, notwithstanding anything contained in the Indian Stamp Act, 1899."

(*b*) in sub-section (4), *after* the words "after the deficiency in stamp has been made good", the words "or as the case may be, the defect has been removed" shall be *inserted*.

Insertion of new sections 9-A and 9-B.

10. *After* section 9 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely:—

"9-A. Where a copy of the document creating charge, variation or mortgage has been sent for registration under section 9, the bank may give intimation to the Tahsildar or such other official as may be designated in this behalf by the State Government, of the particulars of such charge, variation or mortgage. The Tahsildar or the other official shall make a note of the particulars of the charge, variation or mortgage in the record-of-rights relating to the land in respect of which such charge or mortgage has been created or variation has been made.

Noting of charge or mortgage in the record-of-rights.

9-B. Where any declaration or variation in respect of a charge, or mortgage of any land or interest therein or other immovable property has been registered in accordance with section 9 and the amount of financial assistance secured thereby has been paid to the bank or the debt has been otherwise discharged, the bank shall issue a certificate to that effect and the provisions of the said section shall *mutatis mutandis* apply to the registration of such certificate."

Registration of discharge certificates.

11. In Chapter 4 of the principal Act, *before* section 11, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Insertion of new section 10-A.

"10-A. Nothing in any law shall prevent in any manner a bank from causing any land or any interest therein charged or mortgaged to it by an agriculturist to secure any financial assistance, to be attached and sold through a civil court and applying the proceeds of such sale towards all moneys due to it from that agriculturist including the costs and expenses as may be awarded by the court.

Removal of bar to attachment and sale by process of court.

10-B. (1) Where any sum in respect of any financial assistance granted to an agriculturist remains unpaid on the date on which it falls due, the bank granting the financial assistance may apply to the Tahsildar having jurisdiction for the recovery of the sum due, together with expenses of recovery, by distraint and sale of the movable property or the crop or other produce charged in favour of the bank.

Distraint and sale of produce and movables.

(2) The provisions of the Limitation Act, 1963, shall apply in relation to an application under sub-section (1), as if such application were a suit in a civil court for sale of the movable property for enforcing recovery of the sum referred to in that sub-section.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Tahsildar or any other official authorised by him may, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, take action in the manner prescribed for purposes of distraining and selling the property referred to in that sub-section.

(4) Any sum so recovered shall be transferred to the bank after deducting the expenses of recovery and satisfying the Government dues or other prior charge, if any."

12. In section 11 of the principal Act—

Amendment of section 11.

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time-being in force, an officer specified by the State Government by notification in the *Gazette* (hereinafter referred to as the prescribed authority) may, on the application of a bank by order, direct that any amount due to the bank on account of financial assistance given to an agriculturist be paid by the sale of the land or any interest therein or other immovable property which is charged or mortgaged for the payment of such amount :

Provided that no order of sale shall be made under this sub-section unless the agriculturist has been served with a notice by the prescribed authority calling upon him to pay the amount due.

(1-A) The provisions of the Limitation Act, 1963 shall apply in relation to an application under sub-section (1), as if such application were a suit in civil court for sale of the land or interest therein or other immovable property for enforcing recovery of the sum referred to in that sub-section." ;

(*b*) sub-section (4) shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*.

Insertion of new section 11-A.

13. *After* section 11 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"11-A. (1) Where any amount of financial assistance is granted by a bank to an agriculturist and the agriculturist fails to pay the amount together with interest on the due date, then without prejudice to the provisions of sections 10-B and 11, the local principal officer of the bank, by whatever name called may forward to the Collector a certificate in the manner prescribed, specifying the amount due from the agriculturist.

Recovery in the case of personal security.

(2) The certificate referred to in sub-section (1) may be forwarded to the Collector within three years from the date when the amount specified in the certificate fell due.

(3) On receipt of the certificate, the Collector shall proceed to recover from the agriculturist, the amount specified therein together with expenses of recovery, as arrears of land revenue, and the amount due to the bank shall be paid after deducting the expenses of recovery and satisfying any Government dues or other prior charges, if any.

Explanation—For the purposes of this section, the expression 'Collector' means the Collector of the district in which the agriculturist ordinarily resides or carries on the activities referred to in clause *(a)* of section 2 or where any movable or immovable property of the agriculturist is situate, and includes any officer, authorised by him in that behalf."

Insertion of new sections 12-A, 12-B and 12-C.

14. In Chapter 4 of the principal Act, *after* section 12, the following sections shall be *inserted*, namely :—

"12-A (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to the provisions of sub-section (2), a bank shall have power to itself acquire any land or interest therein or any other immovable property which has been charged or mortgaged to it by an agriculturist in respect of any financial assistance granted to him.

Right of a bank to acquire and dispose of immovable property.

(2) Where a bank acquires any land or interest therein or any other immovable property under sub-section (1), it shall dispose of such land, interest or property by sale in favour of an agriculturist within a time to be prescribed, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force.

(3) If the bank has to lease out any land acquired by it under sub-section (1), pending sale thereof as indicated in sub-section (2), the period of lease shall not exceed one year at a time, and the lessee shall not acquire any interest in that property notwithstanding any provisions to the contrary in any other law for the time being in force.

12-B. (1) Where an agriculturist dies before the dues in respect of any financial assistance granted to him have been fully satisfied, the bank or the Tahsildar referred to in section 10-B or the prescribed authority referred to in section 11 or the Collector referred to in section 11-A may proceed against the legal representatives of the agriculturist for the recovery of the dues.

Recovery of dues from legal representatives.

(2) Where the proceedings are taken for the recovery against such legal representatives, they shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to their hands and has not been duly disposed of and for the purpose of ascertaining such liability, the Tahsildar or the prescribed authority or the Collector, as the case may be, may *suo motu* or on application of the bank compel such legal representatives to produce such account as he or it thinks fit.

12-C. The provisions of this Act relating to the recovery of dues from an agriculturist and his legal representatives shall *mutatis mutandis* apply to the recovery of such dues from a surety who enters into a contract of guarantee to perform any promise or discharge the liability of an agriculturist in case of his default and to the legal representatives of such surety."

Recovery of dues from sureties.

15. *After* section 13 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :— Insertion of new sections 13-A and 13-B.

"13-A. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, or any other law for the time being in force, it shall be lawful for a bank to become a member of a co-operative society. Bank eligible to become member of a Co-operative Society.

13-B. Nothing contained in section 60 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, shall bar any co-operative society from borrowing from a bank for the purposes of this Act." Power of Co-operative Societies to borrow from bank.

16. In section 15 of the principal Act, in sub-section (1), the following explanation shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 15.

"*Explanation*—A claim by a bank for the recovery of its dues from a co-operative society in respect of the financial assistance given to it shall be deemed to be a dispute which shall be referred to the Registrar under this sub-section."

17. In section 19 of the principal Act, in sub-section (3)— Amendment of section 19.

(*a*) *for* the words "Where a bank", the words "Notwithstanding anything in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, where a bank" shall be *substituted* ;

(*b*) the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that if any such member who was not a party to any proceedings referred to in sub-section (2) disputes the existence or amount of debt due from him to the society, the objection shall be decided in the appropriate execution proceedings."

18. In section 25 of the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "for carrying out the purposes of this Act", the words "including any rules prescribing fees in respect of any proceeding under this Act" shall be *inserted*. Amendment of section 25.

19. *For* the Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *substituted*, namely :— Substitution of the Schedule.

"SCHEDULE

Declaration under section 6 (1) of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973

WHEREAS, I ..... (aged.....years.....), s/o .....,r/o ....., district....., am desirous of securing a sum of Rs. .....(rupees.....) as financial assistance from .....Bank (..... branch).

AND WHEREAS, the aforesaid bank is willing to grant me the above amount as financial assistance for purposes of..... ;

I AM, THEREFORE, making this declaration under section 6 (1) of the U. P. Agricultural Credit Act, 1973 and bind myself as well as my heirs and legal representatives by the following conditions, namely :—

(1) That I am an agriculturist as defined by section 2 (*b*) of the U. P. Agricultural Credit Act, 1973.

(2) That I am the *bhumidhar/sirdar/asami*/Government lessee/owner of the land or other immovable property specified below or I have the following interest in the land or other immovable property specified below .....

(3) That I hereby create a charge on the said land or interest therein or other immovable property in favour of the aforesaid bank for securing financial assistance from such bank.

(4) That I shall repay the amount of financial assistance to the bank together with interest @.....per cent per annum, in the following manner.....

(5) That if I fail to make payment in the manner stated above, the property charged may be proceeded against and I shall be liable for the costs as well as other charges and expenses of the bank, and for the costs, if any, that the bank may have to incur for recovering the sums due.

(6) That I shall spend and utilize the amount of financial assistance only for the purposes hereinbefore mentioned.

(7) That the contents of this declaration are true to my personal knowledge and no part of it is false or incorrect.

Description of the land or interest therein or other immovable property charged in favour of the bank

Name of village	Name of pargana and tahsil	Name of district	Survey no.	city survey no.	Boundaries		Area
			Plot no.	Plot hissa	South-east	North-west	Hectares

Assessment		Approximate value	Encumbrances		Remarks, if any
Rupees	Paise		Nature	Amount	

IN WITNESS WHEREOF, I, Sri ...., hereunder set my hand this ....day of...................., in the year one thousand nine hundred and....................................

WITNESSES :

Signed and delivered by the above named in the presence of—

(1)

(2)

Signature of Declarant.

FORWARDED with compliments to the Sub-Registrar with a request to record the particulars of the charge created under the declaration in his office.

Manager/Agent,

....................*Bank,*

Place ....

Returned with compliments to the Manager/Agent.................. Bank.............. The charge created under the declaration has been duly filed.

Sub-Registrar,

................."

Amendment of section 3 of U. P. Act I of 1961.

20. In section 3 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter referred to as the Ceiling Act, clause (1) shall be *omitted*.

Amendment of section 5.

21. In section 5 of the Ceiling Act, in sub-section (2) *for* clause (*d*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*d*) bank as defined in clause (*c*) of section 2 of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973, or a Co-operative Bank or a Co-operative Land Development Bank."

Repeal and savings

22. (1) The Uttar Pradesh Agricultural Credit (Amendment) Ordinance, 1975 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under the principal Act or the Ceiling Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act and the Ceiling Act as amended by this Act as if this Act had come into force on January 25, 1975.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 7 सा० (विधायिका)—1975—675 (मे०) ।